



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

कुल 07 अभियुक्त/ वारंटी गिरफ्तार

दिनांक 06.04.21

पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु जनपद पुलिस को घटनाओं को रोकने व वांछित अपराधियों/वारंटी के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

उक्त निर्देश के क्रम में थाना सकरन पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न अभियोगों से संबंधित कुल 05 वारंटी, 01 वांछित अभियुक्त व 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जनपद में अपराध एवम् अपराधियों के विरुद्ध निरंतर प्रभावी कार्यवाही इसी प्रकार प्रचलित रहेगी। विवरण निम्न प्रकार है—

- थाना मछरेहटा पुलिस द्वारा 03 वारंटी गिरफ्तार- मु0अ0सं0 214/99 धारा 25(1-b) आर्म्स एक्ट में वारंटी 1. भिम्मा पुत्र चौधरी निवासी छावन थाना मिश्रित सीतापुर हाल पता ग्राम मुसौली थाना मछरेहटा सीतापुर व मु0अ0सं0 892/09 धारा 324/323/504 में वारंटी 2. मिन्दू पुत्र जंगली वाल्मिकी निवासी नईबस्ती थाना मछरेहटा सीतापुर 3. रमेश पुत्र जंगली निवासी नई बस्ती थाना मछरेहटा जनपद सीतापुर को गिरफ्तार आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- थाना थानगांव पुलिस द्वारा 01 वांछित गिरफ्तार- मु0अ0सं0 286/20 धारा 147/323/504/324/325/304 भादवि में वांछित 1. देवीप्रसाद पुत्र कैलाशनाथ अवस्थी निवासी ग्राम कैथौरा थाना थानगांव जनपद सीतापुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार आवश्यक कार्यवाही की गयी।
- थाना मानपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी गिरफ्तार- वाद संख्या 303/21 अ0सं0 22/08 धारा 25(1-b) आर्म्स एक्ट का वारंटी एक अदद तमंचा व 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 1. रामदुलारे उर्फ गुड्डू पुत्र छोटेलाल मौर्यनिवासी हसनापुर थाना मानपुर सीतापुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 88/21 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

➤ थाना तालगांव पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार- थाना तालगांव पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय के टॉप-10 अपराधी पंकज लोध पुत्र राम प्रसाद लोध निवासी ग्राम परसापुर मजरा धोंधी थाना तालगांव जनपद सीतापुर को एक अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ गिरफ्तार कर बरामदगी के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 121/21 धारा 25(1-बी) आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया तथा एक वारण्टी मिथलेश पुत्र माता प्रसाद निवासी ग्राम नेवादा कैमहारा थाना तालगांव जनपद सीतापुर को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।